# पी.टी.ई.टी. परीक्षा-2024 हेतु सामान्य नियम एवं मार्गदर्शन

राजस्थान के विभिन्न महाविद्यालयों में बी.एड पाठ्यक्रमों में सत्र 2024-25 में प्रवेश के लिए एक प्रतियोगी परीक्षा (पीटीईटी-2024) वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा के द्वारा राजस्थान सरकार के द्वारा प्रदत्त नियमों के अनुसार आयोजित होगी।

## बी.एड. पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु नियम

1. राजस्थान के बी.एड महाविद्यालयों में प्रवेश हेतु पी.टी.ई.टी.-2024 परीक्षा करवाई जायेगी। वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा के द्वारा ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किये जा रहे हैं, जिसका शुल्क 500/- रुपये है। अभ्यर्थी आवेदन 31 मार्च, 2024 तक कर सकेंगे।
2. वे आवेदक जिन्होंने विधि द्वारा स्थापित किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की स्नातक/ स्नातकोत्तर परीक्षा न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक उत्तीर्ण की है, जो राजस्थान राज्य के विश्वविद्यालयों की स्नातक/ स्नातकोत्तर परीक्षा के समतुल्य मानी गई हो। अनु. जाति, अनु. जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग वर्ग, विधवा, परित्यक्ता महिला अभ्यर्थियों (सभी आरक्षित श्रेणी केवल राजस्थान राज्य के मूल निवासी) के लिए वांछनीय योग्यता स्नातक अथवा स्नातकोत्तर परीक्षा में न्यूनतम 45 प्रतिशत अंक है। न्यूनतम प्रतिशत में किसी भी प्रकार की छूट नही है (एक अंक की भी नहीं)।
3. एकल बैठक (Single Sitting) परीक्षा पद्धति से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी चाहे उन्होंने बाद में स्नातकोत्तर परीक्षा भी उत्तीर्ण क्यों न कर ली हो, पी.टी.ई.टी.-2024 हेतु पात्र नहीं है, इसी प्रकार वे अभ्यर्थी जिन्होंने 10+2+3 या 10+1+3 परीक्षा पद्धति से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की है वे भी पात्र नहीं हैं। ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा से बीएपी/बीसीपी/बीएससीपी परीक्षा उत्तीर्ण की है और तत्पश्चात तीन साल की स्नातक उत्तीर्ण की है, वे भी पी.टी.ई.टी.-2024 प्रवेश परीक्षा और योग्यता के अनुसार प्रवेश के लिए पात्र होंगे।
4. बी.ए./बी.कॉम/बी.एससी./शिक्षा शास्त्री परीक्षा के अन्तिम वर्ष या एम.ए./एम.कॉम/एम.एस.सी/आचार्य के अन्तिम वर्ष के अभ्यर्थी भी पी.टी.ई.टी.-2024 परीक्षा हेतु योग्य हैं, बशर्ते वे काउंसलिंग में पंजीकरण की अन्तिम तिथि से पूर्व अर्हता परीक्षा की अंकतालिका जमा करवा दे।
5. पी.टी.ई.टी.-2024 में प्राप्तांक के आधार पर योग्यता सूची नियमानुसार तैयार की जायेगी।
6. ऑनलाइन काउंसलिंग हेतु शुल्क रुपये 5000/- है। यह राशि कुल फीस में समायोजित की जायेगी। ऑनलाइन काउसलिंग में भाग लेकर संबंधित कॉलेज में रिपोंटिंग नहीं करने पर जमा राशि में से रूपये 200/- की कटौती की जायेगी तथा यदि विद्यार्थी शुल्क जमा करवा देता है तथा तत्पश्चात कॉलेज रिपोंटिंग नहीं करता है तब रूपये 600/- कटौती की जायेगी।
7. प्रत्येक संकाय (कला, विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय) में उपलब्ध कुल सीटों में राजस्थान राज्य के मूल अभ्यर्थियों के लिए राज्य सरकार के नियमानुसार आरक्षण की स्थिति निम्नानुसार होगी:-

| | | |
|---|---|---|
| I. | अनु. जाति वर्ग के लिए | 16% |
| II. | अनु. जनजाति वर्ग के लिए | 12% |
| III. | अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए | 21% |
| IV. | अति पिछड़ा वर्ग (MBC) | 5 % |
| V. | महिला ( इसमें से 8 प्रतिशत सीट विधवा वर्ग की महिला एवं 2 प्रतिशत सीट तलाकशुदा वर्ग की महिलाओं के लिए) | राज्य सरकार के नियमानुसार |
| VI. | दिव्यांग वर्ग के लिए (including blind, deaf and/or dumb and orthopaedic) यह लाभ चिकित्सा प्रमाण पत्र संख्या-4 में सक्षम चिकित्सा अधिकारी (चिकित्सा बोर्ड और सह आचार्य मेडिकल कॉलेज या सी.एच.एम.ओ.) द्वारा 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगता प्रमाणित होने पर ही दिया जायेगा। | 5% |
| VII. | रक्षा सेवा या पूर्व रक्षा सेवा के आश्रितों के लिए (केवल जल, थल, नभ सेना) | 5% |
| VIII. | आर्थिक कमजोर वर्ग (EWS) | 10% |

नोट :-

a. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अति पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को सक्षम प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

b. **अन्य पिछड़ा वर्ग का नॉन-क्रीमी लेयर का प्रमाण-पत्र काउंसलिंग की तिथि को एक वर्ष से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए इस सन्दर्भ में कोई भी स्व-घोषणा पत्र/एफिडेविट/ नये प्रमाण-पत्र हेतु जमा किए गए आवेदन की प्रति या अन्य कोई भी दस्तावेज मान्य नहीं होंगे।** काउंसलिंग की तिथि को अन्य पिछड़ा वर्ग के नॉन-क्रीमीलेयर का मूल प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं करने पर सम्बन्धित श्रेणी का लाभ देय नहीं होगा।

c. आर्थिक पिछड़े वर्ग से संबंधित अभ्यर्थियों को आय प्रमाण-पत्र व अन्य प्रमाण-पत्र राजस्थान सरकार के नियमानुसार प्रस्तुत करना होगा।

d. रक्षा आश्रितों का लाभ पुत्र, पुत्री, पत्नी या पति को ही देय होगा। सगी बहन और सगे भाई को भी रक्षा कर्मियों के वार्ड के रूप में माना जा सकता है, बशर्ते वे अभिभावक रक्षा कर्मियों पर निर्भर हों और अभ्यर्थी के माता-पिता जीवित न हों।

e. तलाकशुदा महिला को लाभ हेतु न्यायालय से तलाक का निर्णय प्रस्तुत करना होगा एवं नोटरी द्वारा प्रमाणित यह शपथ-पत्र देना होगा कि उसने पुनः विवाह नहीं किया है।

f. रक्षा आश्रितों हेतु प्रमाण पत्र संबंधित यूनिट के मेजर / सैनिक बोर्ड के सचिव द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा इसके अभाव में इस श्रेणी का लाभ देय नहीं होगा, बी.एस.एफ., सी.आर.पी.एफ. एवं अन्य पैरामिलिट्री बलों के कार्मिकों/अधिकारियों व आश्रितों को यह लाभ देय नहीं होगा।

## 4 वर्षीय बी.ए. बी.एड / बी.एससी. बी.एड. कोर्स में प्रवेश हेतु नियम

1. राजस्थान के बी.ए. बी.एड/बी.एससी, बी.एड महाविद्यालयों में प्रवेश हेतु पी.टी.ई.टी.-2024 परीक्षा करवाई जायेगी। वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा के द्वारा ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किये जा रहे हैं। जिसका शुल्क 500/- रुपये है। अभ्यर्थी आवेदन दिनांक 06 मार्च से 31 मार्च, 2024 तक कर सकेंगे।
2. वांछनीय योग्यता हेतु राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर अथवा समकक्ष बोर्ड से अभ्यर्थी ने उच्च माध्यमिक परीक्षा में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त किये हों एवं अनु. जाति, अनु. जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग वर्ग, विधवा, परित्यक्ता महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 45 प्रतिशत अंक आवश्यक हैं। न्यूनतम प्रतिशत में किसी भी प्रकार की छूट नही है (एक अंक की भी नहीं)।
3. NCVT से मान्यता प्राप्त आई.टी.आई या पॉलिटेक्निकल महाविद्यालय से दो या अधिक वर्ष का डिप्लोमा के साथ माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान अजमेर के आदेशानुसार न्यूनतम योग्यता रखने वाला भी इस परीक्षा हेतु पात्र होंगे।



4. 4 वर्षीय बी.एससी. बी.एड. कोर्स में प्रवेश लेने के लिए उच्च माध्यमिक परीक्षा में विज्ञान संकाय होना आवश्यक है।
5. वे अभ्यर्थी जो उच्च माध्यमिक परीक्षा में इस वर्ष सम्मिलित हो रहे हैं वे भी इस शर्त पर परीक्षा दे सकते हैं कि उनका उच्च माध्यमिक परीक्षा परिणाम काउंसलिंग में पंजीकरण की अन्तिम तिथि से पूर्व उपलब्ध होना चाहिए।
6. बीए.बी.एड/बी.एससी बीएड परीक्षा-2024 में प्राप्तांकों के आधार पर संकायवार एवं श्रेणीवार मेरिट लिस्ट बनाई जायेगी। जो पीटीईटी की वेबसाईट पर उपलब्ध होगी।
7. श्रेणीवार आरक्षण एवं मूल निवास हेतु शर्तें बी.एड. प्रवेश में दर्शाई शर्तों के अनुसार ही होगी।